

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- | | |
|--|--|
| 1. रेक्टिफिकेशन सं. 90 / 2013 / भीलवाड़ा | 2. रेक्टिफिकेशन सं. 91 / 2013 / भीलवाड़ा |
| 3. रेक्टिफिकेशन सं. 92 / 2013 / भीलवाड़ा | 4. रेक्टिफिकेशन सं. 93 / 2013 / भीलवाड़ा |
| 5. रेक्टिफिकेशन सं. 94 / 2013 / भीलवाड़ा | 6. रेक्टिफिकेशन सं. 95 / 2013 / भीलवाड़ा |
| 7. रेक्टिफिकेशन सं. 96 / 2013 / भीलवाड़ा | 8. रेक्टिफिकेशन सं. 97 / 2013 / भीलवाड़ा |
| 9. रेक्टिफिकेशन सं. 98 / 2013 / भीलवाड़ा | 10. रेक्टिफिकेशन सं. 99 / 2013 / भीलवाड़ा |
| 11. रेक्टिफिकेशन सं. 116 / 2013 / भीलवाड़ा | 12. रेक्टिफिकेशन सं. 117 / 2013 / भीलवाड़ा |
| 13. रेक्टिफिकेशन सं. 118 / 2013 / भीलवाड़ा | 14. रेक्टिफिकेशन सं. 119 / 2013 / भीलवाड़ा |
| 15. रेक्टिफिकेशन सं. 124 / 2013 / भीलवाड़ा | |

- | | |
|---|---|
| 1. मैसर्स सुराणा बिल्डर्स, भीलवाड़ा। | 2. मैसर्स पन्नालाल बैरवा, भीलवाड़ा। |
| 3. मैसर्स कुमार जयदीप, भीलवाड़ा। | 4. मैसर्स सुनील गांधी, भीलवाड़ा। |
| 5. मैसर्स नारायण थावानी, भीलवाड़ा। | 6. मैसर्स प्रहलाद राय कन्स्ट्रक्शन, भीलवाड़ा। |
| 7. मैसर्स मुकुटवाला कन्स्ट्रक्शन, भीलवाड़ा। | 8. मैसर्स सुनील गांधी, भीलवाड़ा। |
| 9. बुद्धिप्रकाश पंचोली, भीलवाड़ा। | 10. मैसर्स भगवती लाल विश्णोई, भीलवाड़ा। |
| 11. मैसर्स नारायण थावानी, भीलवाड़ा। | 12. मैसर्स राकेश राज जैन, भीलवाड़ा। |
| 13. मैसर्स पन्नालाल बैरवा, भीलवाड़ा। | 14. मैसर्स गीता कन्स्ट्रक्शन, भीलवाड़ा। |
| 15. मैसर्स भीमसिंह ठेकेदार, भीलवाड़ा। |अपीलार्थीगण |

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.पी.शर्मा, अभिभाषक।
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थीगण की ओर से

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णयों में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

रेक्टि. प्रार्थना पत्र सं.	कर बोर्ड की अ.सं.	कर बो. का नि.दि.	वर्ष	अपीलीय अधिकारी की अपील सं. एवं आदेश दि.	कर निर्धा.अधि. का आ. दि.
1	2	3	4	5	6
90 / 13	1586 / 12	19.7.13	2006-07	66 / 30.7.12	24.03.09
91 / 13	1589 / 12	19.7.13	2006-07	28 / 09.05.12	17.03.09
92 / 13	1598 / 12	12.7.13	2006-07	70 / 30.07.12	25.03.09
93 / 13	1599 / 12	5.8.13	2007-08	64 / 30.07.12	31.03.10
94 / 13	1601 / 12	19.7.13	2006-07	274 / 03.05.12	09.12.10
95 / 13	1603 / 12	1.8.13	2008-09	73 / 30.07.12	16.09.10
96 / 13	1608 / 12	19.7.13	2006-07	72 / 30.07.12	24.03.09
97 / 13	1609 / 12	19.7.13	2006-07	67 / 30.07.12	30.03.09
98 / 13	1934 / 12	19.7.13	2009-10	120 / 28.08.12	09.08.11
99 / 13	1935 / 12	19.7.13	2009-10	121 / 28.08.12	09.08.11
116 / 13	1600 / 12	9.7.13	2006-07	27 / 9.5.12	18.03.09
117 / 13	1604 / 12	1.8.13	2006-07	65 / 30.7.12	06.03.09
118 / 13	1590 / 12	2.8.13	2008-09	273 / 01.05.12	09.12.10
119 / 13	1592 / 12	2.8.13	2006-07	4 / 30.05.12	13.03.09
124 / 13	964 / 10	22.12.11	2005-06	161 / 07.05.10	15.09.08

✓

लगातार.....2

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ठेकेदारी का कार्य करता है जिसका मूल निर्धारण आदेश वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 24(6) के तहत पारित आदेश उपरोक्त तालिकानुसार मांग राशियों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधियों में अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से पेन्ट्स, गिट्टी की खरीद एवं ऑयरन स्टील की खरीद पर लाभांश जोड़ते हुए क्रमशः 4 व 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किये। इसी प्रकार व्यवहारियों द्वारा आलौच्य अवधि में ऑयरन स्टील का क्रय किया गया एवं सीमेंट आदि का क्रय किया गया, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लाभांश जोड़ते हुए क्रमशः 4 व 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किये। इसी प्रकार व्यवहारियों द्वारा आलौच्य अवधि में विभागीय ठेकेदार से बजरी व पत्थर क्रय करना घोषित कर, संविदा कार्यों में प्रयुक्त करना घोषित किया गया परन्तु खरीद के सत्यापन के अभाव में उक्त क्रय राशियों में लाभांश जोड़ते हुए कर आरोपित किया गया। व्यवहारियों द्वारा इन आदेशों के विरुद्ध अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं, प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध व्यवहारियों द्वारा द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा उपरोक्त तालिकानुसार दर्शित तिथियों को आदेश पारित करते हुए व्यवहारियों की अपीलें अस्वीकार की। उक्त आदेशों को संशोधित किये जाने हेतु व्यवहारियों द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत यह परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अतिरिक्त आरोपण से पूर्व व्यवहारियों को वेट नियमों के प्रावधानों के तहत सुनवाई का कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया था, जिससे अतिरिक्त करारोपण अपास्तनीय योग्य है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरणों को अपास्त किया/कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया, जो न्यायोचित नहीं है। माननीय कर बोर्ड ने भी अपने आदेशों में व्यवहारियों को विशिष्ट नोटिस जारी नहीं करने के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है, जिससे कर बोर्ड द्वारा पारित उक्त आदेश संशोधनीय है। अधिनियम की धारा 24 एवं नियम 48 व 49 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में घोषित कर देयता में वृद्धि किये जाने के लिये सक्षम कर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित सूचना पत्र में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, जो इन प्रकरणों में नहीं किया गया है। इसके साथ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिप्रेषित आदेश के निर्देशों के अनुरूप कर निर्धारण अधिकारी अब नोटिस जारी नहीं कर सकता है क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है अतः प्रस्तुत आदेश में प्रतिप्रेषित किये गये आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया गया। इसके समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित अपील संख्या 338/99 एवं 339/99 आदेश दिनांक 25.11.2002 का उद्धरण प्रस्तुत किया। अतः उन्होंने प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

→

5. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि व्यवहारिगण इन संशोधन प्रार्थना पत्रों के जरिये मूल आदेशों को परिवर्तित करवाना चाहते हैं, जबकि अधिनियम की धारा 33 का दायरा सीमित है, उक्त धारा के तहत केवल मात्र रिकार्ड से स्पष्ट भूल तथा लिपिकीय/टंकण त्रुटियों को ही संशोधित किया जा सकता है, ना कि मूल आदेश को पुनरीक्षित किया जा सकता है। अतः उन्होंने व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत समस्त परिशोधन प्रार्थना पत्रों को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।


7. अतःएव एकलपीठ द्वारा व्यवहारियों की मूल अपीलों में प्रकरण के रेकार्ड व तथ्यों पर समुचित रूप से विचार करने के पश्चात आदेश पारित किये गये थे, जो कि सुविचारित एवं सचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय है तथा इसमें रेकार्ड पर परिलक्षित प्रथम दृष्टतया कोई त्रुटियां प्रतीत नहीं होती है। जहां तक प्रतिप्रेषण किये जाने पर दिये गये निर्देशों की पालना पर कर निर्धारण की समयावधि का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 24(6) के तत्समय के प्रावधान स्पष्ट है कि :-

"Notwithstanding anything contained in subsection (5), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to any order of an appellate or revisional authority or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority; however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular cases, such time limit by a period not exceeding six months."

अर्थात अपील प्रभाव देने हेतु कर निर्धारण आदेश पारित के दो वर्ष तक किया जा सकता है। यहीं नहीं आयुक्त वाणिज्यिक कर, 6 माह समयसीमा बढ़ा भी सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड प्लास्टिक एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टांत (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में यह अवधारित किया गया है कि पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिशोधन की परिधि में नहीं आते हैं तथा अधिनियम की धारा 33 पूर्व में पारित निर्णयों को पुनर्विलोकित करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं।

8. परिणामतः व्यवहारियों द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित निर्णयों (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 3) में संशोधन हेतु वेट अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एतद्वारा अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


12.1.2017
(मदन लाल)
सदस्य